संख्या-12/2020/52/71-2-20-आर0एम0-26/2016 टी0सी0-।।।

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2020

विषयः-डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय के विलय के फलस्वरूप समूह 'ग' एवं समूह 'घ' श्रेणी के पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 3090/Estb.(Gen)RMLIMS/2019 दिनांक 23.10.2019 एवं 214/Estb.(Gen)RMLIMS/2019 दिनांक 11.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संस्थान में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय के विलय के फलस्वरूप समूह 'ग' एवं समूह 'घ' श्रेणी के 333 पदों का सृजन आउटसोर्सिंग के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु समूह 'ग' एवं समूह 'घ' श्रेणी के कुल 168 पदों को नियमित पद के रूप में, अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2021 तक के लिये निम्नलिखित विवरण/ शर्तो के अधीन, बशर्ते कि इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

क्र0 सं0	पद नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1.	रिकार्ड कीपर (स्टेनों टाइपिस्ट/स्टेनोग्राफर/कम्प्यूटर आपरेटर)	01
2.	वाहन चालक	08
3.	इलेक्ट्रीशियन/जनरेटर आपरेटर	03
4.	लिफ्ट मैन	06
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- (लैब अटेण्डेन्ट/टेलर/प्लम्बर/कुक/कहार/कारपेन्टर/माली/ अर्दली/प्यून/कलीनर/अटेन्डेन्ट वार्ड ब्वाय/वार्ड आया/धोबी/पैकर)	150
	योग	168

6.	सफाई कर्मी	सफाई कर्मी एवं सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर संस्थान द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं का आंकलन कर शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त सेवाओं को आउटसोर्स किया जायेगा।
7.	सिक्योरिटी गार्ड	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित पद की अर्हता संबंधित मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय हेतु सृजित 333 पदों को समाप्त समझा जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति से पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाएगी।

(4) आउटसोर्सिंग हेतु संस्था का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग की नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आउटसोर्सिंग कर्मियों की आपूर्ति हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की गई अनुबन्ध-अवधि समाप्त होने के बाद संस्थान द्वारा नियमानुसार नया अनुबन्ध किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3/144/दस-2020, दिनांक 30 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2020/52(1)/71-2-20-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 छठां तल योजना भवन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in